



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1311/2011, 1312/2011, 1313/2011 एवं 1314/2011/उदयपुर

- उत्तरदान—
1. मै० रणजीत बिल्डकॉन लि., उदयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर
 2. मै० रणजीत कन्सट्रक्शन कम्पनी, उदयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर
 3. मै० रणजीत टारग्रेट (जेबी), उदयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की राशि में जारी हुआ
08.04.2015	<p style="text-align: center;"><u>खण्डपीठ</u> <u>श्री भदन लाल — सदस्य</u> <u>श्री मनोहर पुरी -- सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी अभिभाषक श्री वी.के.पारीक, प्रत्यर्थी विभाग की ओर से श्री आर.के.अजमेरा उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा जारी एमेनेस्टी स्कीम वर्ष 2015 अधिसूचना संख्या एफ/12(16) एफडी/कर/2009-188 दिनांक 09.02.2015 का लाभ लेना चाहते हैं। इस हेतु प्रकरण वापस (Withdraw) लेना चाहते हैं।</p> <p>इस पर विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलों को विद्वान करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत अपीलों को विद्वान करने की अनुमति दी जाती है। अतः अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 1311/2011, 1312/2011, 1313/2011 एवं 1314/2011/उदयपुर जरिये विद्वान (Withdrawal) खारिज की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश सुनाया गया।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  (मनोहर पुरी) सदस्य </div> <div style="text-align: center;">  (भदन लाल) सदस्य </div> </div>	